बिहार सरकार
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–अ०सा०नि० / स्था०17–14 / 2019 /231 / पटना, दिनांक:– 04/08/23

कार्यालय आदेश

श्री राजेश कुमार रजक, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, धोरैया प्रखंड, बाँका संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, अरियरी प्रखंड, शेखपुरा के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, बाँका के पत्रांक–172 दिनांक–09.03.2020 द्वारा प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर गठित आरोप पत्र पर निदेशालय के का०आ०सं०–51 सहपठित ज्ञापांक–481 दिनांक–26.03.2021 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत श्री राजेश कुमार रजक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ किया गया। इस विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), बाँका को संचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बाँका को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. श्री राजेश कुमार रजक के विरूद्ध गठित आरोप–पत्र में प्रखंड –धोरैया में स्थित वर्षामापी यंत्र का निरीक्षण प्रतिवेदन माँगे जाने पर साठ दिनों तक प्रतिवेदन जमा नहीं किये जाने, प्रतिदिन वर्षापात का प्रतिवेदन जिला बेवसाईट एवं Serorg.cloudapp.net/ Rainfall App पर नहीं किये जाने, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एवं नवंबर, 2019 में लगातार माह में जिला संख्यिकी कार्यालय में जिला स्तरीय विभागीय मासिक बैठक में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने जिससे धोरैया प्रखंड का विभागीय समीक्षा नहीं किये जाने एवं धोरैया प्रखंड का किसी प्रकार का प्रगति प्रतिवेदन निदेशालय को नहीं भेजे जाने, धोरैया प्रखंड अंतर्गत फसल कटनी प्रयोग कृषि वर्ष 2018–19 के फसल राई–सरसों, चना, अरहर, मसूर, ईख फसल कटनी प्रयोग का विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन बहुत विलंब से प्राप्त कराने के कारण निदेशालय द्वारा टिप्पणी की गई कि प्रतिवेदन भारत सरकार को भेजे जाने के उपरांत प्राप्त हुआ है, जो इनके विभागीय कार्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता और अनुशासनहीनता का घोतक है, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के स्तर से पूछे गये अनेकों स्पष्टीकरण का जबाव उपस्थापित नहीं किये जाने, प्रत्येक माह जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रेशन ऑनलाईन के संबंध में धोरैया PHC का निरीक्षण वर्ष, 2019 जनवरी से दिसंबर तक निरीक्षण नहीं किये जाने एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अप्राप्त रहने, आदान सर्वेक्षण 2016–17 का प्रतिवेदन अप्राप्त रहने , वर्ष 2019–20 अगहनी धान फसल कटनी का APP के द्वारा फसल कटनी का आँकड़ा फसल कटनी समाप्ति के उपरान्त भी अपलोड नहीं किये जाने, छठी लघु सिंचाई गणना का धोरैया प्रखंड अंतर्गत प्रगति शून्य रहने, प्रखंड स्तर पर सातवीं आर्थिक गणना का एस०एल०–2 पर्यवेक्षक नियुक्त किये जाने पर भी धोरैया प्रखंड का प्रगति शून्य रहने संबंधी आरोप लगाये गये हैं।

3. अपर समाहर्त्ता, बाँका के पत्रांक–4187 / रा० दिनांक–22.10.2022 द्वारा श्री राजेश कुमार रजक के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में समर्पित संचालन–सह–जाँच

प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी का मंतव्य निम्नवत् है :–

(i). आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में निरीक्षण प्रतिवेदन ससमय भेजने का उल्लेख किया गया है, परन्तु साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है, जिससे लगाया गया आरोप प्रमाणित होता है।

(ii). आरोप प्रमाणित होता है।

(iii). मई, जून, जुलाई, अगस्त, सिम्तबर, अक्टूबर, नवंबर, 2019 में लगातार माह में जिला सांख्यिकी कार्यालय में जिला स्तरीय विभागीय मासिक बैठक में भाग नहीं लेना इनके विभागीय कार्यों के प्रति लापरवाही को दर्शाता है। आरोप प्रमाणित होता है।

(iv). फसल कटनी का प्रतिवेदन विलंब से उपलब्ध कराने का आरोप है। उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा भी प्रतिवेदन विलंब से प्राप्त होने की तथ्य को स्वीकार किया गया है, जिससे आरोप प्रमाणित होता है।

(v). समर्पित स्पष्टीकरण साक्ष्य के रूप में संलग्न नहीं किया गया है, जिससे आरोप प्रमाणित होता है।

(vi). आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

(vii). प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य प्रतिवेदन में विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा होने के बाद प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, का उल्लेख है, जिससे वर्णित आरोप प्रमाणित होता है।

(viii). आरोपी पदाधिकारी द्वारा App पर प्रतिवेदन भेजने का उल्लेख किया गया है। प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा लगातार पत्राचार एवं स्मार-पत्र के उपरांत प्रतिवेदन अपलोड करने का उल्लेख किया गया है, जिससे वर्णित आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित होता है।

(ix). प्रतिवेदन समर्पित करने से संबंधित साक्ष्य संलग्न नहीं किये जाने के कारण आरोप प्रमाणित होता है।

(x). प्रतिवेदन समर्पित करने से संबंधित साक्ष्य संलग्न नहीं किये जाने के कारण आरोप प्रमाणित होता है।

(xi). आरोपित कर्मी के स्वीकारोक्ति एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के मंतव्य के आधार पर आरोप प्रमाणित पाया गया ।

(xii). प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य से यह स्पष्ट होता है कि निरीक्षण उपरांत प्रतिवेदन जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को प्रेषित नहीं की गई है। इस प्रकार साक्ष्य के अभाव में आरोप प्रमाणित होता है।

(xiii). आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित होता है।

(xiv). प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के मंतव्य प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि वांछित प्रतिवेदन विलंब से समर्पित किया गया है। आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित होता है।

(xv). आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण में प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने का उल्लेख किया गया है, परन्तु साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है। प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी का मंतव्य अप्राप्त है। उक्त परिप्रेक्ष्य में आरोप प्रमाणित होता है।

(xvi). आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण में प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने का उल्लेख किया गया है, परन्तु साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है। प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी का मंतव्य अप्राप्त है। उक्त परिप्रेक्ष्य में आरोप प्रमाणित होता है।

(xvii). आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण में प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने का उल्लेख किया गया है, परन्तु साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है। प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी का मंतव्य अप्राप्त है। उक्त परिप्रेक्ष्य में आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित होता है।

(xviii). आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण में प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने का उल्लेख किया गया है, परन्तु साक्ष्य संलग्न नही किया गया है। प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी का मंतव्य अप्राप्त है। उक्त परिप्रेक्ष्य में आरोप प्रमाणित होता है।

(xix). प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के मंतव्य के आलोक में आरोप प्रमाणित नहीं होता है

4. श्री राजेश कुमार रजक के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभगीय जाँच), बाँका को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया, लेकिन संचालन प्रतिवेदन अपर समाहर्त्ता, बाँका के पत्रांक–4187/रा० दिनांक–22.10.2022 द्वारा समर्पित किया गया है । उक्त पर निदेशालय के पत्रांक–1967 दिनांक–14.11.2022 द्वारा जिला पदाधिकारी, बाँका से अपर अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच) , बाँका के स्थान पर अपर समाहर्त्ता, बाँका को संचालन पदाधिकारी नामित करने संबंधी आदेश/पत्र भेजने का अनुरोध किया गया। समाहर्त्ता, बाँका के पत्रांक–1774/ रा० दिनांक–09.05.2023 द्वारा भेजे गये पत्र में उल्लेखित है कि

" सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या–5019/सा०प्र० दिनांक–05.05.2011 एवं पत्रांक–942 दिनांक–28.01.2010 द्वारा प्रत्येक जिला के लिए अपर समाहर्त्ता विभागीय जाँच का पद स्वीकृत किया गया है। बाँका जिला में अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच का पद रिक्त है, जिसके फलस्वरूप अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच के प्रभार में अपर समाहर्त्ता (राजस्व) कार्यरत हैं। तदालोक में प्रश्नगत विभागीय कार्यवाही का निष्पादन किया गया है।"

5. अपर समाहर्त्ता, बाँका–सह–संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित संचालन प्रतिवेदन में आरोप–पत्र के द्वितीय भाग–अवचार या कदाचार के लांछनों का सार में गठित आरोप संख्या–1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 प्रमाणित एवं आरोप सं०–8 आंशिक रूप से प्रमाणित होता है तथा आरोप पत्र के तृतीय भाग में गठित आरोप संख्या–1, 2, 5, 6, 8 प्रमाणित एवं आरोप संख्या–3, 4, 7 आंशिक रूप से प्रमाणित होता है, के समर्पित जाँच प्रतिवेदन पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18(3) के तहत श्री राजेश कुमार रजक से निदेशालय के पत्रांक–1968 दिनांक–14.11.2022 द्वारा अभ्यावेदन की मांग किया गया। अभ्यावेदन अप्राप्त रहने पर उन्हें स्मारित भी किया गया।

श्री राजेश कुमार रजक ने समर्पित अपने अभ्यावेदन में ने निम्न तथ्यों का उल्लेख किया है :–

"उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी तथा संचालन पदाधिकारी द्वारा दिया गया मंतव्य उन्हें परेशान करने के लिए दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों पदाधिकारी उन्हें नीचा दिखाने तथा गलत मंतव्य देकर प्रताड़ित करना चाहते हैं। दोनों पदाधिकारियों द्वारा गलत भावना के तहत प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। उनके द्वारा

कोई वित्तीय अनियमितता नहीं किया गया है। केवल ससमय प्रतिवेदन नहीं समर्पित करने का आरोप है।''

6. श्री राजेश कुमार रजक ने समर्पित अपने अभ्यावेदन में उनके विरूद्ध प्रमाणित/आंशिक प्रमाणित आरोप पर स्पष्ट जवाब न देकर प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी तथा संचालन पदाधिकारी द्वारा दिये गये मंतव्य को उन्हें परेशान करने के लिए दिया गया बताया है, जो इनकी उदण्डता एवं अनुशासनहीनता का प्रतीक है। अतः इनका अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

7. अतः संचालन पदाधिकारी के संचालन प्रतिवेदन से सहमत होते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एंव अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(v) में किये गये प्रावधान के तहत श्री राजेश कुमार रजक, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, धोरैया प्रखंड, बाँका संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, अरियरी प्रखंड, शेखपुरा पर संचयी प्रभाव के बिना एक वेतन वृद्धि रोकने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

ह०/–
(संजय कुमार पंसारी)
निदेशक

ज्ञापांकः– अ०सा०नि०/स्था०17–14/2019 /1383 /पटना, दिनांकः– 4/08/23

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. जिला पदाधिकारी, बाँका को उनके पत्रांक–172 दिनांक–09.03.2020 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. जिला पदाधिकारी, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. उप निदेशक (सां०), मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बाँका/शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. प्रखंड विकास पदाधिकारी, अरियरी प्रखंड, शेखुपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. श्री राजेश कुमार रजक, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, धोरैया प्रखंड, बाँका संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, अरियरी प्रखंड, शेखपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

" जन्म हो या मरण, जरूरी हैं पंजीकरण"